(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 39/2017-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 13 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि.______(अ).--केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् "सीजीएसटी अधिनियम" कहा गया है) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर यह विनिर्दिष्ट करती है कि संबंधित राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् "उक्त अधिनियमों" कहा गया है) के अधीन, उक्त अधिनियम के आयुक्त द्वारा नियुक्त अधिकारी जो उक्त अधिनियम की धारा 54 या धारा 55 के प्रयोजन के लिए समुचित अधिकारी (जिन्हें इस अधिसूचना में इसके पश्चात् "उक्त अधिकारियों" कहा गया है) होने के लिए प्राधिकृत किए जाते हैं, उक्त अधिकारियों की राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता में अवसथित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो उक्त अधिकारियों को प्रतिदाय की मंजूरी के लिए आवेदन करता है, की बाबत केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 96 के सिवाय इसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ पठित सीजीएसटी अधिनियम की धारा 54 या धारा 55 के अधीन प्रतिदाय की मंजूरी के लिए उचित अधिकारी के रुप में कार्य करेंगे ।

(फा. सं. 349/74/2017–जीएसटी (पीटी)

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार